

# उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक-79253 /सावधि जमा/2017-18

दिनांक-06.07.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

## शीर्ष प्राथमिकता

प्रधान कार्यालय परिपत्र सं० सी 22/सावधि जमा/2017-18 दिनांक 09.05.2017 द्वारा प्रदेश की समस्त शाखाओं हेतु वर्ष 2017-18 के लिये मु० 20,000.00 लाख सावधि जमा लक्ष्यों का शाखावार निर्धारण करते हुए आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में माह मई 2017 तक शाखा के कुल लक्ष्य का 20 प्रतिशत, माह जून 2017 तक शाखा के कुल लक्ष्य का 30 प्रतिशत तथा माह जुलाई 2017 तक शाखा के कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत क्रमिक लक्ष्य पूर्ति के निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि शाखा प्रबन्धक शाखा को आवंटित लक्ष्यों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में आवंटित करते हुए लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त के क्रम में माह मई 2017 के शाखाओं से प्राप्त मासिक सावधि जमा विवरण पत्रों के अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट की शाखावार/मण्डलवार की गयी। समीक्षा में देवीपाटन तथा झांसी मण्डल को छोड़कर अन्य सभी मण्डलों का अन्तिम अवशेष उनके प्रारम्भिक अवशेष (दिनांक 01.04.2017) से भी कम पाया गया। प्रदेश की कुल 145 शाखाएँ ऐसी पायी गयीं जिनका अन्तिम सावधि जमा अवशेष उनके प्रारम्भिक अवशेष (दिनांक 01.04.2017) से भी कम है। साथ ही प्रदेश की 110 शाखाएँ ऐसी पायी गयीं जिनका अन्तिम अवशेष उनके प्रारम्भिक अवशेष (दिनांक 01.04.2017) के बराबर है। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर दिनांक 01.04.2017 से मु० 214.35 लाख की गिरावट आयी है। वर्तमान में सावधि जमा मद में जमा होने वाली धनराशि की तुलना में निकासी की धनराशि में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि होने के कारण सावधि जमा मद का वित्तीय ढांचा कमजोर हो रहा है। आपको पूर्व में भी परिपत्रों के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है कि शाखाएँ निकासी की धनराशि की भरपाई नई सावधि जमा प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर अवश्य कर लें एवं समस्त शाखाएँ सावधि जमा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए प्रधान कार्यालय द्वारा आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

अतः वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शाखा के समस्त कार्मिकों को आवंटित किये गये सावधि जमा लक्ष्यों की सप्ताहिक समीक्षा करते हुए, निकासी की धनराशि की भरपाई एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से करते हुए एवं अपने समस्त सम्पर्क सूत्रों (यथा ग्राम प्रधान, नौकरी पेशा, व्यवसायी व अन्य) से प्रभावी सम्पर्क करते हुए माह जुलाई 2017 तक अपनी शाखा को आवंटित कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत की पूर्ति सुनिश्चित करें।

ह०/-

(के०पी० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1-समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-1/2, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद की समस्त शाखाओं को पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

2-समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त पर्यवेक्षक अपने **जनपद/मण्डल** की समस्त शाखाओं की सघन समीक्षा करते हुए शाखाओं को आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायें।

3-उप महाप्रबन्धक(आई०टी०सेल), उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को समस्त जनपद की ई-मेल आई०डी० पर अपलोड करने हेतु।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक